

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश


का0आ0सं0-1/अ0प्र0-1-22/2024

108

/पटना दिनांक 9.2.26

श्री दीपक कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्य अभियंता-2, गया का कार्यालय को उनके बाये पैर की हड्डी टूट जाने के कारण दिनांक-31.07.2025 से 03.09.2025 तक कुल 35 (पैंतीस) दिनों का उपार्जित अवकाश बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

2. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।




(उमंग)

सरकार के उप सचिव

/पटना दिनांक 9.2.26

ज्ञापांक:-1/ अ0प्र0-1-22/2024 1657

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के उप सचिव

/पटना दिनांक 9.2.26

ज्ञापांक:-1/ अ0प्र0-1-22/2024 1657

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता-2, गया /निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/श्री दीपक कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्य अभियंता-2, गया का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के उप सचिव

/पटना दिनांक 9.2.26

ज्ञापांक:-1/ अ0प्र0-1-39/2024 1657

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव

\$